>

Title : Need to ensure allocation of funds to Gram Panchayats in Madhya Pradesh as per the recommendations of the 13th Finance Commission.

श्री सज्जन वर्मा (देवास): 12वें वित्त आयोग को समाप्त कर 13वें वित्त आयोग की राशि मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रथम किस्त आबंटित की गई, जिसमें मेरे संसदीय क्षेत्र शुजालपुर जनपद की ग्राम पंचायतों में आबंटित राशि देखकर यह प्रतीत होता है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा ग्राम पंचायतों को आबंटित राशि नियमानुसार नहीं दी गई है। उदाहरणार्थ शुजालपुर जनपद के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को 2009-10 में 12वें वित्त आयोग से प्राप्त राशि एवं 2010-11 में 13वें वित्त आयोग से प्राप्त राशि का आबंटन नियम विरूद्ध किया गया है। इस संबंध में सरपंच एवं सरपंच संघ शुजालपुर के अध्यक्ष द्वारा भी भोपाल, शाजापुर एवं शुजालपुर संबंधित विभागों को लिखा है लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गई।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि आयोग से प्राप्त धनराशि का नियम विरूद्ध आबंटन करने वालों पर कार्यवाही करवाकर पीड़ित ग्राम पंचायतों को न्याय दिलवायें।